

FORM No. III
फर्द अहकाम
(नियम 26)

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा**

प्रकरण संख्या - 378/2018

किस्म मुकदमा - प्रतिकर निर्धारण

उनवान

1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1.	श्रीमती सूरजान कंवर पत्नि सुरेश सिंह उर्फ शैतान सिंह केशावत, निवासी अजमेर चौराहा, माण्डल, जिला भीलवाड़ा
	—प्रार्थी			—विपक्षी

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छःलेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु अवाई अन्तर्गत धारा 3G
राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to
Acquisition Under NH Act, 1956 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण**

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुकम की तामील में जारी हुए
31.12.2018	<p>:: आदेश ::</p> <p>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 A (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 31/01/2018 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 24/02/2018 को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 14/08/2018 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 15/09/2018 को किया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (2) के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है।</p> <p>परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा ने पत्रांक: 4925 दिनांक 27/11/2018 के क्रम में विहित अधिनियम के तहत धारा 3D में अधिसूचित अवाप्ताधीन भूमि का प्रतिकर निर्धारण किया जाना है।</p> <p>परियोजना निदेशक से प्राप्त पत्र को दृष्टिगत रखते हुए विहित अधिनियम की धारा 3D के अन्तर्गत प्रकाशित अधिसूचना का अवलोकन किया गया। अधिसूचना के अनुसार विपक्षी के खाते में अंकित ग्राम गुढ़ा तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 747/525 में से 0.0063 हेक्टेयर एवं आराजी नम्बर 748/525 में से 0.0063 हेक्टेयर भू-भाग अवाप्त किया गया है।</p> <p>तहसीलदार माण्डल से अवाप्ताधीन भूमि का सत्यापन प्रतिवेदन एवं जमाबन्दी की प्रति प्राप्त की गई तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया। ग्राम गुढ़ा की आराजी नम्बर 747/525 रकबा 0.00.10 बीघा, किस्म चाही प्रथम में से 0.0063 हेक्टेयर अर्थात 63 वर्ग मीटर एवं आराजी नम्बर 748/525 रकबा 0.00.10 बीघा, किस्म चाही प्रथम में से 0.0063 हेक्टेयर अर्थात 63 वर्ग मीटर, कुलिया 126 वर्ग मीटर भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग निर्माण/चौड़ाकरण में अवाप्ताधीन हैं। अवाप्ताधीन भूमि की DLC दर उप पंजीयक माण्डल से प्राप्त की गयीं। अवाप्ताधीन भूमि पर निर्मित निर्माण संरचना के संबंध में परियोजना निदेशक ने अधिकृत मूल्यांकन कर्ता द्वारा तैयार तथा परियोजना निदेशक एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रमाणित एवं सत्यापित मूल्यांकन प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया।</p>	

अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

हितबद्धधारी श्रीमती सूरज्ञान कंवर ने प्रार्थना पत्र दिनांक 01/10/2018 को प्रस्तुत कर अवाप्ताधीन भूमि का मुआवजा राशि वाणिज्यक दर से निर्धारण कराने का अनुरोध किया है। हितबद्धधारी ने अवाप्ताधीन भूमि किस्म वाणिज्यक होने के दस्तोवत प्रस्तुत नहीं किये हैं। जमाबन्दी में भूमि की किस्म कृषि हैं। अतः हितबद्धधारी का प्रार्थनापत्र खारीज किया जाकर उक्त अवाप्ताधीन भूमि का प्रतिकर कृषि मद से निर्धारित करने के आदेश दिये जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 G (1) (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनःवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर निर्धारण किया जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं -

क्र०सं०	विवरण	विवरण/प्रतिकर राशि
1	आराजी नं० (ग्राम गुढ़ा)	747/525, 748/525
2	अवाप्ताधीन रकबा	0.0063, 0.0063 हैक्टर अर्थात् 63+63 = 126 वर्ग मीटर
3	किस्म भूमि	चाही।
4	हितबद्ध खातेदार	श्रीमती सूरज्ञान कंवर पत्नि सुरेश सिंह उर्फ शैतान सिंह केशावत, निवासी अजमेर चौराहा, माण्डल
5	दिनांक 31.01.2018 को DLC दर (प्रति बीघा)	22,74,679- रुपये
6	दिनांक 31.01.2018 को DLC दर (प्रति वर्गमीटर)	899.33- रुपये
7	PWD के अनुसार ग्राम गुढ़ा की शहरी सीमा से स्थित दूरी	6.30 किमी
8	कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र X दर)	1,13,315- रुपये
9	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी 00-10 किमी पर देय कारक 1.25 गुणा की दर से राशि	1,41,643- रुपये
10	अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन प्रतिवेदन अनुसार स्थायी संरचना का मूल्य	13,31,177- रुपये
11	योग (9+10)	14,72,820- रुपये
12	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) कॉलम नं० 11 अंकित राशि का	14,72,820- रुपये
13	दिनांक 31.01.2018 से 31.12.2018 तक कुल 334 दिवस का ब्याज (12 प्रतिशत से)	12,442- रुपये
14	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं० (11+12+13)	29,58,082- रुपये
15	कुल संरचना राशि 26,62,354- रुपये पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर (TDS) कटौती	2,66,235- रुपये
16	हितबद्ध खातेदार को भुगतान की जाने वाली राशि	26,91,847- रुपये
अक्षर - छब्बीस लाख इकरानवे हजार आठ सौ सेतालीस रुपये मात्र		

अवाप्त भूमि का अवाई जारी किया जावे। प्रार्थी परियोजना निदेशक अवाई अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक जिम्मेदार होंगे। अवाई की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक, तहसीलदार एवं हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को प्रेषित की जावे। तहसीलदार हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे। अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकन किया जावे तथा भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के नम्बर से कम होकर फौसल शुमार की जावे।



अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
(एल०आर० गुगरवाल)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम अधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

**न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) एवं
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) भीलवाड़ा**

प्रकरण संख्या - 378/2018

किस्म मुकदमा - प्रतिकर निर्धारण

		उनवान	
1.	परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भीलवाड़ा	बनाम	1. श्रीमती सूरजान कंवर पत्नि सुरेश सिंह उर्फ शैतान सिंह केशावत, निवासी अजमेर चौराहा, माण्डल, जिला भीलवाड़ा 2. श्री श्रवण सिंह, राजेन्द्र सिंह, गोपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह, सुरज कंवर पत्नि प्रताप सिंह राजपूत, निवासी गुड़ा, तहसील माण्डल, जिला भीलवाड़ा
	—प्रार्थी		—विपक्षीगण

**भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/चौड़ाकरण हेतु अवाई अन्तर्गत धारा 3G
राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 एवं Section 24 of RFCTLARR Act, 2013 to
Acquisition Under NH Act, 1956 के अन्तर्गत प्रतिकर निर्धारण**

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम, जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.08.2019	<p align="center">:: संशोधित आदेश ::</p> <p>भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 79 के छः लेन निर्माण/ चौड़ाकरण के लिए अतिरिक्त भूमि अवाप्ति हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 A (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 31/01/2018 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 24/02/2018 को किया गया। इसके उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (1) के अन्तर्गत अधिसूचना दिनांक 14/08/2018 को प्रकाशित की गयीं, जिसका प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों में दिनांक 15/09/2018 को किया गया। सूचना प्रकाशन होने के उपरान्त विहित अधिनियम की धारा 3 D (2) के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि समस्त भारो से मुक्त होकर भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारत सरकार में निहित हो चुकी है।</p> <p>राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 के अन्तर्गत राजस्व ग्राम गुड़ा तहसील माण्डल की आराजी नम्बर 747/525 रकबा 0.00.10 बीघा, किस्म चाही I में से 0.0063 हेक्टेयर अर्थात 63 वर्ग मीटर एवं आराजी नम्बर 748/525 रकबा 0.00.10 बीघा, किस्म चाही प्रथम में से 0.0063 हेक्टेयर अर्थात 63 वर्ग मीटर, कुल 126 वर्ग मीटर भूमि का सक्षम न्यायालय द्वारा अवाई दिनांक 31/12/2018 से प्रतिकर राशि 29,58,082- रूपये का निर्धारित किया गया था। जिसका भुगतान हितबद्धधारी को किया जाना शेष हैं।</p> <p>तहसीलदार माण्डल ने पटवारी हल्का संतोकपुरा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट को दिनांक 30/01/2019 इस न्यायालय को पृष्ठाकित की है, पटवारी हल्का संतोकपुरा ने रिपोर्ट से अवगत कराया है कि राजस्व ग्राम गुड़ा की आराजी नं० 747/525 रकबा 0.0063 हेक्टेयर तथा आराजी नं० 748/525 रकबा 0.0063 हेक्टेयर श्रीमती सुरजान कंवर के नाम दर्ज होकर अवाई जारी हो चुका हैं। राजस्व नक्शे में उक्त दोनो आराजीयात में तरमीम नहीं हैं तथा हितबद्धधारी आराजी नं० 525 के किसी भी भाग पर काबिज नहीं हैं। मौकानुसार हितबद्धधारी का कब्जा राजस्व ग्राम गुड़ा के आराजी नं० 524 पर होकर अवाप्ति में आ रही हैं।</p> <p>तहसीलदार माण्डल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट एवं अनुरोध पर राजस्व ग्राम गुड़ा, तहसील माण्डल की आराजी नं० 747/525 किस्म चाही I में से 0.0063 हेक्टेयर तथा आराजी नं० 748/525 किस्म चाही I</p>	

अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा

में से 0.0063 हेक्टर भूमि, जो हितबद्ध श्रीमती सुरज्ञान कंवर पत्नि सुरेश सिंह उर्फ शैतान सिंह केशावत निवासी अजमेर चौराया, माण्डल के नाम दर्ज हैं तथा राजमार्ग हेतु अधिसूचित एवं अवाप्ताधीन होकर प्रकरण सं० 378/2018 अवाई दिनांक 31/12/2018 से प्रतिकर का निर्धारण किया गया है, का भू-भाग राजमार्ग निर्माण में प्रभावित नहीं होने से जारी अवाई दिनांक 31/12/2018 को संशोधित अवाई आदेश दिनांक 08/07/2019 से निरस्त किया गया है।

तहसीलदार माण्डल से सु-स्पष्ट चाही जाने पर उन्होने दिनांक 14/06/2019 से स्पष्ट किया कि ग्राम गुढा की आराजी नं० 524 रकबा 1.06 बीघा किस्म चाही। श्री श्रवण सिंह, राजेन्द्र सिंह, गोपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह, सुरज कंवर पत्नि प्रताप सिंह राजपूत, निवासी गुढा के नाम दर्ज रिकार्ड हैं। उक्त आराजी में 130 वर्गमीटर भूमि अवाप्ताधीन हैं। उक्त भूमि में 35 गुणा 25 फीट अर्थात् 875 वर्गफीट भू-भाग पर श्रीमती सुरज्ञानकंवर पत्नि सुरेशसिंह उर्फ शैतानसिंह केशावत द्वारा दुकान निर्मित की हुई हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3D अधिसूचना दिनांक 14/08/2018 में आराजी नं० 524 में अधिसूचित रकबा 0.0130 हेक्टर के अनुसार वर्तमान अवाप्ति में मौकानुसार श्रीमती सुरज्ञानकंवर पत्नि सुरेशसिंह उर्फ शैतानसिंह केशावत का 35 गुणा 9.51 फीट अर्थात् 332.85 वर्गफीट अर्थात् 30.93 वर्गमीटर भू-भाग अवाप्ति में हैं, जिसमें निर्माण संरचना निर्मित हैं। चूंकि हितबद्धधारी श्रीमती सुरज्ञानकंवर का आराजी नं० 524 में अवाप्ताधीन भू-भाग में स्वामित्व के दस्तावेज नहीं होने से अवाप्ताधीन भूमि का प्रतिकर वर्तमान खातेदार श्री श्रवण सिंह, राजेन्द्र सिंह, गोपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह, सुरज कंवर पत्नि प्रताप सिंह राजपूत के नाम का बनता है।

हितबद्धधारी श्रीमती सुरज्ञानकंवर का आराजी नं० 524 में 875 वर्गफीट भू-भाग प्रभावित हैं, लेकिन उक्त आराजी में वर्तमान में 0.0130 हेक्टर ही अधिसूचित होने से वर्तमान मौकानुसार 332.85 वर्गफीट अर्थात् 30.93 वर्गमीटर भू-भाग अवाप्ति में हैं, लेकिन पूरे भू-भाग पर स्थित निर्माण संरचना का मूल्यांकन प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। अतः सम्पूर्ण निर्माण संरचना का प्रतिकर निर्धारण किया जा रहा है। हितबद्धधारी का शेष भू-भाग का प्रतिकर आगामी 3D अधिसूचना के पश्चात किया जायेगा, निर्माण संरचना का सम्पूर्ण मूल्यांकन इस अवाई में सम्मिलित होने से आगामी 3D प्रतिकर पत्रावली में देय नहीं होगा। इस मूल्यांकन प्रतिवेदन की छाया प्रति आगामी 3D प्रतिकर पत्रावली पर रखी जावे।

राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम 1956 की धारा 3D अधिसूचना अनुसार राजस्व ग्राम गुढा की आराजी नं० 524 में से 0.0130 हेक्टर भूमि अवाप्ताधीन हैं।

अवाप्ताधीन भूमि पर निर्मित निर्माण संरचना के संबंध में परियोजना निदेशक ने अधिकृत मूल्यांकन कर्ता द्वारा तैयार तथा स्वयं एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग से प्रमाणित एवं सत्यापित मूल्यांकन प्रतिवेदन विपक्षी श्रीमती सुरज्ञानकंवर पत्नि सुरेशसिंह उर्फ शैतानसिंह केशावत के नाम राशि 13,31,177- रुपये का प्रस्तुत किया।

अतः तहसीलदार माण्डल से प्राप्त मौका सत्यापन रिपोर्ट तथा जॉच रिपोर्ट एवं जमाबन्दी की प्रति तथा परियोजना निदेशक द्वारा प्रस्तुत प्रमाणित सत्यापित मूल्यांकन प्रतिवेदन को आधार स्तम्भ लिया जाकर ग्राम गुढा की आराजी नम्बर 524 में से 30.93 वर्गमीटर भूमि का प्रतिकर खातेदार श्री श्रवण सिंह, राजेन्द्र सिंह, गोपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह, सुरज कंवर पत्नि प्रताप सिंह राजपूत के नाम एवं उस पर निर्मित निर्माण संरचना का निर्धारण श्रीमती सुरज्ञानकंवर पत्नि सुरेशसिंह उर्फ शैतानसिंह केशावत के नाम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं।

राष्ट्रीय राजमार्ग भूमि अवाप्ति अधिनियम, 1956 की धारा 3 G (1) (7) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नवीन भूमि अर्जन पुनःवास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अनुसार अवाप्ताधीन भूमि का निम्नानुसार प्रतिकर

अति० जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति)
भीनवाड़ा

निर्धारण किया जाता है तथा हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को भुगतान करने के आदेश दिये जाते हैं -

क्र०सं०	विवरण	विवरण/प्रतिकर राशि
1	आराजी नं० (ग्राम गुढ़ा)	524
2	अवाप्ताधीन रकबा	332.85 वर्गफीट, 30.93 वर्गमीटर
3	किस्म भूमि	चाही ।
4	हितबद्ध खातेदार	श्रीमती सुरज्ञानकंवर पत्नि सुरेश सिंह उर्फ शैतान सिंह केशावत, निवासी अजमेर चौराघा, माण्डल, श्री श्रवण सिंह, राजेन्द्र सिंह, गोपाल सिंह पुत्र प्रताप सिंह, सुरज कंवर पत्नि प्रताप सिंह राजपूत, निवासी गुढ़ा
5	दिनांक 24.02.2018 को DLC दर (प्रति बीघा)	22,74,679- रूपये
6	दिनांक 24.02.2018 को DLC दर (प्रति वर्गमीटर)	899.33- रूपये
7	PWD के अनुसार ग्राम गुढ़ा की शहरी सीमा से स्थित दूरी	6.30 किमी
8	कृषि भूमि की प्रतिकर राशि (क्षेत्र X दर)	27,816- रूपये
9	राज्य सरकार द्वारा निर्धारित फेक्टर दूरी 00-10 किमी पर देय कारक 1.25 गुणा की दर से श्री श्रवणसिंह वगैरहा की राशि	34,770- रूपये
10	अधिकृत मूल्यांकनकर्ता द्वारा तैयार मूल्यांकन स्थायी संरचना श्रीमती सुरज्ञानकंवर का मूल्य	13,31,177- रूपये
11	योग (9+10)	13,65,947- रूपये
12	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) खातेदार श्री श्रवणसिंह वगैरहा राशि का	34,770- रूपये
13	सोलिशियम (तोषण) राशि (100 प्रतिशत) निर्माण संरचना श्रीमती सुरज्ञानकंवर राशि का	13,31,177- रूपये
14	योग (12+13)	13,65,947- रूपये
15	दिनांक 24.02.2018 से 19.08.2019 तक कुल 541 दिवस का ब्याज (12 प्रतिशत से)	4,947- रूपये
16	कुल मुआवजा राशि कॉलम नं० (11+14+15)	27,36,841- रूपये
17	कुल निर्माण संरचना श्रीमती सुरज्ञानकंवर राशि 26,62,354- पर 10 प्रतिशत की दर से आयकर (TDS) कटौती	2,66,235- रूपये
18	कुल भुगतान की जाने वाली राशि	24,70,606- रूपये
	हितबद्ध खातेदार श्री श्रवण सिंह वगैरहा को भूमि का प्रतिकर भुगतान की जाने वाली राशि	74,487- रूपये
	अक्षरे - चौवतर हजार चार सौ सतयासी रूपये मात्र	
	हितबद्ध श्रीमती सुरज्ञानकंवर को निर्माण संरचना का भुगतान की जाने वाली राशि	23,96,119- रूपये
	अक्षरे - तेईस लाख छियानवे हजार एक सौ उन्नीस रूपये मात्र	

अवाप्त भूमि का अवाई जारी किया जावे। प्रार्थी परियोजना निदेशक अवाई अनुसार प्रतिकर राशि तत्काल इस न्यायालय के बैंक अकाउन्ट में जमा कराना सुनिश्चित करेंगे। विलम्ब के लिए प्रार्थी परियोजना निदेशक जिम्मेदार होंगे। अवाई की प्रति प्रार्थी परियोजना निदेशक, तहसीलदार एवं हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार को प्रेषित की जावे। तहसीलदार हितबद्ध व्यक्ति/खातेदार से सम्पर्क कर प्रतिकर भुगतान पत्रादि प्रस्तुत करावे। अवाप्तशुदा भूमि को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पक्ष में राजस्व अधिकार अभिलेख में अंकन किया जावे तथा भूमि का कब्जा परियोजना निदेशक को सुपुर्द किया जावे।

पत्रावली बाद दाखला रजिस्टर के नम्बर से कम होकर फौसल शुमार की जावे।



(राकेश कुमार)
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन)
एवं सक्षम प्रशासकीय भूमि अवाप्ति)
भीलवाड़ा